बिहार सरकार

शेखपुरा समाहरणालय, शेखपुरा

(जिला योजना कार्यालय)

निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत माननीय स०वि०स०, शेखपुरा द्वारा शेखपुरा विधानसभा के विभिन्न प्राथमिक विद्यालय/मध्य विद्यालयों/उच्च विद्यालयों/इंटर विद्यालयों/महाविद्यालयों/सावर्जनिक पुस्तकालय की सूची के साथ अपने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना मद से पुस्तकों के क्रय हेतु अनुशंसित पुस्तकों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। पुस्तकों के क्रय हेतु निबंधित एवं ख्याति प्राप्त प्रकाशकों/वितरकों जिन्हें ISO प्रमाण पत्र प्राप्त है से मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दोनों अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में होना चाहिए। पुनः दोनों मुहरबंद लिफाफा एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर फर्म का पूरा नाम एवं पता अंकित होनी चाहिए। **निविदा में निम्न शर्तों का अनुपालन आवश्यक है:–**

1 निविदा दाता को विगत 3 वर्षों का Audited Balance Sheet एवं आयकर रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

2 निविदा के साथ 25000.00 (पचीस हजार रूपये) मात्र का अग्रधन राशि का Bank Draft जिला योजना पदाधिकारी, शेखपुरा के नाम से एवं शेखपुरा के शाखा पर भुगतेय हो संलग्न होनी चाहिए।

3 निविदादाताओं को पिछले तीन वर्षों का औसतन टर्न ओवर 50.00 लाख (पचास लाख) रूपये या अधिक का होना आवश्यक होगा।

4 निविदा दाता को ख्याती प्राप्त प्रकाशक/प्राधिकृत आपूर्तिकर्त्ता/अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

5 निविदादाता को समरूप कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

6 आपूर्तिकर्त्ता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का NOTARY PUBLIC द्वारा शपथपत्र देना होगा।

7 क्रय की जाने वाली पुस्तकों के टाईटिल पृष्ट एवं मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्त्तन/संशोधन मान्य नहीं होगा।

8 बाल साहित्य के अतिरिक्त अन्य पुस्तके 60 पृष्ट से कम रहने पर मान्य नहीं होगा।

9 क्षतिग्रस्त अथवा न्यूजप्रिन्ट पर छपी पुस्तकें स्वीकार नहीं की जायेगी।

10 बिहार की क्षेत्रीय भाषाओं एवं बिहार के प्रमुख रचनाकारों की पुस्तकों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक पुस्तक अधिमानतः आई०एस०बी०एन० संख्या के साथ चयनित की जायेगी।

11 National Book Trust. NCERT प्रकाशन विभाग या अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठानों की पुस्तकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

12 पुस्तकों के क्रय हेतु छूट की निम्नांकित न्यूनतम दरे निर्धारित की जायेगी–

क	01 से 10 प्रतियो पर	10 प्रतिशत
ख	11 से 25 प्रतियो पर	15 प्रतिशत
ग	26 से 100 प्रतियों पर	20 प्रतिशत
घ	101 से 200 प्रतियों पर	25 प्रतिशत
ड़	201 से 500 प्रतियो पर	30 प्रतिशत
च	501 से उपर प्रतियो पर	35 प्रतिशत

13 प्रकाशन उपर्युक्त निर्धारित छूट से यदि अधिक छूट देना चाहे तो स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि कितनी छूट दे सकते है।

14 नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तको का रेल पार्सल स्वीकार नहीं की जायेगी।

15 नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तको में निम्नांकित सूचनाएं निश्चित रूप से अंकित की जाय।

(क) पुस्तक का नाम :–

(ख) लेखक का नाम एवं पूरा पता :–

(ग) प्रकाशक का नाम एवं पूरा पता :–

(घ) विषय :–

(ड) प्रकाशन वर्ष :–

(च) पृष्ट संख्या :–

(छ) साजिल्द/अजिल्द एवं मूल्य मुद्रित।

16. नमूने की एक-एक प्रति कार्यालय अवधि में विशेष वाहक या (रजिस्टर्ड पार्सल) द्वारा प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर प्राप्त की जाएगी। उक्त तिथि के बाद प्राप्त किसी पुस्तक पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जाएगा।

17. पुस्तकों का दर सभी कर एवं परिवहन शूल्क सहित अंकित होनी चाहिए।

18. पुस्तकों की आपूर्ति आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर संबंधित विद्यालयों में करनी होगी।

19. जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को बिना कारण बताये निविदा रदद करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

20. माननीय स०वि०स० द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले संस्थानों की सूची एवं अनुशंसित पुस्तकों की सूची जिला योजना कार्यालय, शेखपुरा से किसी भी कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती है। साथ ही इसे शेखपुरा जिले के वेबसाईट www.sheikhpura.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

21. निविदा में चयनित आपूर्तिकर्त्ता को कार्यादेश के पूर्व 5 प्रतिशत जमानत की राशि का डिमांड ड्राफ्ट जिला योजना पदाधिकारी, शेखपुरा के पदनाम से जमा करना होगा।

22. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र शेखपुरा होगा।

23. उचित गुणवत्ता की पुस्तके एवं निर्धारित समय अवधि पर आपूर्ति नहीं किये जाने पर Liquidated Damage एवं Penal Provision के तहत जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही काली सूची में दर्ज करने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

जिला योजना कार्यालय, शेखपुरा में मुहरबंद निविदाएं दिनांक 28.02.17 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे एवं उसी दिन अपराह्न 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

विस्तृत जानकारी एवं शर्तों के लिए वेबसाइट www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा।